(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS) 8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No.F.14(12)/LA-2010/Iclaw/323

Dated / O'the September, 2010

NOTIFICATION

No.F.14(12)/LA-2010/Iclaw/323. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 8^{th} September, 2010 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI TAX ON LUXURIES (AMENDMENT) ACT, 2010 (DELHI ACT 11 OF 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 23rd August, 2010)

[8th September, 2010]

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title, extent

and commencement.

1. (1) This Act may be called the Delhi Tax on Luxuries (Amendment) Act, 2010.

- (2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.
- (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette, appoint.

Amendment of section 2, 2.



In the Delhi Tax on Luxuries Act, 1996 (Delhi Act 10 of 1996), in clause (i) of section 2, for the words " five hundred" occurring after the words "extra beds and the like, is" and before the word " rupees", the words " one thousand" shall be substituted.

(Savita Rao) Special Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र के भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 8वां तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0एस्टेट, नई दिल्ली

दिनांक 10 सितम्बर, 2010

संख्या फ़ा0 14/(12)/एतए 2010/एलसीलॉ/323

अधिसूचना

संख्या फा0 14/(12)/एलए 2010/एलसीलॉ/ 32-3 • – उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 8 सितम्बर,, 2010 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :--

> 'दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम संख्या 11)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 को यथपारित)

(8 सितम्बर, 2010)

दिल्ली विलसिता कर अधिनियम, 1996 का पुनः संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

और प्रारम्भ ।

संक्षेप्त नाम, विस्तार 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विलासिता कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 है ।

- (2) इसका विस्तार समस्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पर है ।
- यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत (3) तिथि से प्रवृत्त होगा ।

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (1996 का दिल्ली अधिनियचम 10)की धारा 2 के खंड (।) में ''अतिरिक्त बिस्तरों तथा इसी प्रकार" शब्दों के पश्चात् तथा "रूपये" शब्द से पूर्व आने वाले शब्द "पाँच सौ" के स्थान पर शब्द "एक हजार" प्रतिस्थापितं किये जाएंगे ।"

श्नीवता शव

(सविता राव) विशेष सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

धारा २ का संशोधन । २.